

प्रेषक,

नीतीश्वर कुमार,
सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ० प्र०, लखनऊ।

(2) सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ० प्र०, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक : 03 जनवरी, 2014

विषय- शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) उत्तर प्रदेश का आयोजन कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2991/15-11-2013-2750/2012, दिनांक 06-12-2013 के अनुक्रम में निदेशक, एससीईआरटी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक राशै०/टीईटी/38802/2013-14, दिनांक 03-01-2014 एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद के पत्रांक/गोप०/टी०ई०टी०/15212-13/2013-14, दिनांक 02-01-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) उत्तर प्रदेश के आयोजन में समय सारिणी में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013-14 को सम्पन्न कराये जाने की संशोधित समय सारणी निम्नवत् है-

क्र०सं०	कार्यक्रम का विवरण	कार्य सम्पन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण
1	विज्ञापन का प्रकाशन	07.01.2014
2	आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	21.01.2014
3	आवेदन की अन्तिम तिथि	28.01.2014
4	अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में की गयी त्रुटियों में संशोधन	28.01.2014 से 31.01.2014
5	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की	03.02.2014

	संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि	
6	परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए प्रश्न पत्र निर्माण का कार्य	09.01.2014
7	प्रश्न पत्रों के मॉडरेशन का कार्य	09.01.2014 से 16.01.2014
8	जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की तिथि	06.02.2014
9	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करके केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी दोनों) सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने की तिथि	08.02.2014
10	प्रवेश पत्र Website पर load करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में प्रवेश पत्र load होने की सूचना की विज्ञप्ति	10.02.2014
11	अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि	17.02.2014
12	प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका के मुद्रण का कार्य	10.02.2014
13	डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओ०एम०आर० शीट (उत्तर पुस्तिका) जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि	19.02.2014
14	यू०पी०टी०ई०टी० परीक्षा की तिथि	22.02.2014 एवं 23.02.2014
15	प्रथम दिवस परीक्षा सम्पन्न हो जाने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट कोषागार के डबल लॉक में पहुँचाने की तिथि	22.02.2014 को परीक्षा समाप्ति के पश्चात्
16	द्वितीय दिवस परीक्षा के उपरान्त सील्ड पैकेट डबल लॉक में पहुँचाने की तिथि	23.02.2014 को परीक्षा समाप्ति के पश्चात्
17	दोनों दिवस की परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं/ओ०एम०आर० शीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की तिथि	24.02.2014 से 25.02.2014
18	लिखित परीक्षा के उपरान्त उत्तर माला को Website पर जारी करने की तिथि	25.02.2014
19	वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	28.02.2014

	अन्तिम तिथि	
20	प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि	01.03.2014 से 06.03.2014
21	आपत्ति पर विषय-विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि	10.03.2014
22	विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन कराके परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	27.03.2014
23	परीक्षाफल घोषित होने के बाद सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अंकपत्र/प्रमाण पत्र पहुँचाने की तिथि	29.04.2014

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
N/K
(नीतीश्वर कुमार)
सूचिव।

समसंख्या एवं तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो :-

- (1) प्रमुख सूचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) प्रमुख सूचिव/सूचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- (3) राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- (5) सूचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र, इलाहाबाद।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
- (8) समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
- (9) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
- (10) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- (11) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
- (12) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- (13) समस्त अनुभाग, शिक्षा विभाग।
- (14) आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार सिंह)